(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/देवास/भूरा/2017/2313 विरूद्ध आदेश दि. 07-07-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 699/अपील/2015-16

1-मुश्ताक पिता इब्राहिम शाह
2-निशार पिता इब्राहिम शाह
निवासीगण पालनगर देवास
3-समीर बी पति मयूर शाह
निवासी पिपल्या
4-जरीना बी पति दिलुशाह पुत्री इब्राहिम
निवासी आक्या
5-हसीना बी पति अजीत शाहपुत्री इब्राहिम
निवासी टोंकखुर्द जिला देवास
6-शाहजहां बी पति रउफ शाह पुत्री इब्राहिम
निवासी मेतवाडा जिला सिहोर
7-गुडडी पति जुम्माशाह पुत्री इब्राहिम
निवासी विजयागंज मण्डी देवास

विरूद्ध .....आवेदकगण

म0प्र0शासन
पीर स्थान कलेक्टर जिला देवास म0प्र0 .....अनावेदक

सुश्री किरण जुनेजा, अभिभाषक--आवेदकगण

** आ दे श **

(आज दिनांक 5/5/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण के परपिता सिकन्दर शाह पिता गब्बाशाह थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है । उनके पुत्र इब्राहिम शाह पिता सिकन्दर शाह थे, जिनका स्वर्गवास दिनांक 27-12-2012 को हो चुका है । सिकंन्दर शाह पिता गब्बा शाह के नाम पालनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 223, 224, 225, 226 शामिल नम्बर रकबा 3.501 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 226 रकबा 0.401 हेक्टेयर एवं भूमि सर्वे क्रमांक 227 रकबा 0.80 हेक्टेयर में से भूमि सर्वे क्रमांक 225 का अधिग्रहण किया जा चुका है । प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम होने से पूर्व में आवेदकगण को उक्त भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया था किन्तु बाद में न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट्र ट्रेक) द्वारा भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/2008 में दिनांक 14-3-2008 को आवेदक के हित में अधिनिर्णय पारित करते हुये मुआवजे की राशि का भुगतान आवेदक को किया गया । आवेदक क्रमांक 1 व 2 भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर आवेदक क्रमांक 3 लगायत 7 व्यस्क होकर आवेदक क्रमांक 1 व 2 की बहनें हैं तथा उक्त संपत्ति पर अपना नाम अंकित कराना नहीं चाहती है । इस कारण आवेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा भूमि पर नामान्तरण हेतु तहसीलदार देवास के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27-7-2015 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29-3-2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीयअधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वतीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7-7-2017 को अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरण का जो आवेदन आवेदकपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें संहिता की धारा 178 का गलत उल्लेख आवेदक द्वारा कर दिये जाने से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 178 में आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि नामान्तरण की कार्यवाही संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत होती है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार ने राजस्व अभिलेख में

आवेदकगण का नाम नही होने का आधार बनाकर प्रकरण निरस्त किया और उसे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी पुष्ट कर दिया गया जबकि वास्तव में यदि राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम होता तो तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करना पडता । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण के पूर्वजों के समय जब सन् 1960-61 के राजस्व अभिलेखों मे आवेदकगण के मुरीस के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है तब उनका नाम कम करके पीरस्थान का नाम एवं प्रबंधक कलेक्टर कैसे उल्लेखित हुआ । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसकी जॉच की जाकर पूर्व की स्थिति कायम करना थी परन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज किया गया है तथा राजस्व विभाग द्वारा आवेदकगण के मुरीस का नाम आवेदकगण के पीठ पीछे कम करके राज्य शासन पीरस्थान का नाम दर्ज करने में वैधानिक त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि राजस्व अभिलेखों में किसी प्रविष्टि को परिवर्तित करने पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देना चाहिये जो कि इस प्रकरण में नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्र व पारित आदेशों को अनदेखा कर उक्त आदेशों के विपरीत आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जबकि व्यवहार न्यायालय द्वारा भू-अर्जन प्रकरण में आवेदकगण को भूमिस्वामी मानते हुये भू-अर्जन का मुआवजा आवेदकगण को दिलाया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 1960-61 के समय का राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया गया था जिसमें भूमि के भूमिस्वामी आवेदकगण के मुरीस है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेखों को अनदेखा कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को देखने से स्पष्ट है कि आवेदन की विषय वस्तु त्रुटि सुधार की है, न कि संहिता की धारा 178 की । इस संबंध में 2004 आर.एन. 156

सविता देवी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध राजस्व मण्डल तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 47 क (5)-अपील के ज्ञापन में अधिनियम की धारा 47क (5) के बजाय संहिता की धारा 44 उल्लिखित-उपबंध के गलत उत्कथित करने का परिणाम अपील का खारिज होना नहीं हो सकता ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों को आवेदन की विषय वस्तु के आधार पर प्रकरण में निष्कर्ष निकालना चाहिए था । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस पर ध्यान न देकर संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन मानकर कार्यवाही की है । अत: इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-07-2017, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-3-2016 एवं तहसीलदार, देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-07-2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर